(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरणक्रमांक / तीन / निग0 / अशोकनगर / भू.रा. / 2018 / 1093

	गुलाब सिंह कार्यवाही तथा आदेश **हरिओम**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-03-18	यह निगरानी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01 / अ–70 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री लाखन सिंह धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं, जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के अनुकम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.01 . 2018 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक(जो इस न्यायालय में अनावेदक हैं) के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष समर्थन करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। अतः उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना–अपना पक्ष रखें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य तथा पक्ष समर्थन का प्रर्याप्त एवं समुचित प्रदान करते हुए गुण दोष्य के आधार पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा.रि. हो। **(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)** **सदस्य**	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोंकनगर/भू.रा./2018/.1093...

श्री.............. द्वारा आज दि0 12/2/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12-2-18

1– गुलाब सिंह पुत्र महाराजसिंह यादव

2– कमलसिंह यादव पुत्र महाराजसिंह

निवासगण– ग्राम महुआखेडा, तहसील अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..........आवेदकगण

बनाम

1– हरिओम पुत्र बादामसिंह

निवास– ग्राम गरौली, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

2– कृष्णभानसिंह पुत्र भीकमसिंह

3– जयमंण्डलसिंह पुत्र बाबूलाल यादव

4– निर्मलसिंह पुत्र हरदेवसिंह

निवास– ग्राम कचनार, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..............अनावेदकगण

12/02/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसील वृत कचनार तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01 अ-70/17–18 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से आवेंदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1 यहकि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम महुआखेडा की भूमि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 552/1 रकवा 1.045 हैक्टेयर एवं 554/1 रकवा 1.672 हैक्टेयर के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा